संख्या- 51 /2025 / 207 /चार-2025-1678109

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2025

विषय:- जनपद बलिया के विधान सभा रसड़ा में स्थित नाथ बाबा मेला मैदान के रिटेनिंगवाल मरम्मत एवं विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4939/सं0नि0-6(19)/2023-24 दिनांक 13 जनवरी, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 09/2022/ 2475/चार-2021 दिनांक 08 जनवरी, 2022 द्वारा जनपद बलिया के विधान सभा रसड़ा में स्थित नाथ बाबा मेला मैदान के रिटेनिंगवाल मरम्मत एवं विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु रू0 209.37 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 105.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद बलिया के विधान सभा रसड़ा में स्थित नाथ बाबा मेला मैदान के रिटेनिंगवाल मरम्मत एवं विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु धनराशि रू0 82.96 लाख (रूपये बयासी लाख छियानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 09/2022/ 2475/चार-2021 दिनांक 08 जनवरी, 2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा धनराशि कोषागार से आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 82.96 लाख (रूपये बयासी लाख छियानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 092 लेखाशीर्षक 4202048004100 सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 51 /2025 / 207 (1) /चार-2025-1678109 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- जिलाधिकारी, बलिया।
7- महाप्रबंधक (तकनीकी), उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।